गैर समाचार- योग्य (नॉन रिपोर्टेबल)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2023 की सिविल अपील संख्या_____
(@ विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2022 की 20857)

हरियाणा राज्य और अन्य ..... अपीलकर्तागण

बनाम

हीरा सिंह …प्रतिवादीगण

के साथ

सिविल अपील सं.2023 का
(@एसएलपी (सी) संख्या 28803/2018)

सिविल अपील सं. 2023 का_____
(@एसएलपी (सी) संख्या 30435/2018)

सिविल अपील सं. 2023 का_____
(@एसएलपी (सी) संख्या 418-419/2019)

2023 की सिविल अपील संख्या_____
(@एसएलपी (सी) संख्या 21301/2022)

सिविल अपील सं. 2023 का_____
(@एसएलपी (सी) संख्या 20856/2022)

सिविल अपील सं. 2023 का_____
(@एसएलपी (सी) संख्या 20859/2022)

सिविल अपील सं. 2023 का_____

(@एसएलपी(सी) संख्या 20864-20865/2022)

2023 की सिविल अपील संख्या_____

(@एसएलपी (सी) संख्या 21305/2022)

निर्णय

एम. आर. शाह, जे.

1. सीडब्ल्यूपी संख्या 26213/2014 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आम/कॉमन निर्णय और आदेश दिनांक 27.10.2016 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और घोषित किया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण समाप्त/व्यपगत हो गया माना जाता है, हरियाणा राज्य और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता/वरीयता दी है।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य (कॉमन) निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पैराग्राफ 21 में निम्नानुसार अवलोकन करके यह घोषित किया है कि उत्तरदाताओं - मूल रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा (शैल बी डीम्ड टू हैव लैप्सड):-

> "(21) यह निर्विवाद है कि 1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) के अनुसार मुआवजे की राशि का भुगतान या उसे सिविल या संदर्भ न्यायालय में जमा नहीं किया गया है।आगे प्रत्येक मामले में अधिनिर्णय/पंचाट की तिथि से यह देखा जा सकता है कि इन्हे 01.01.2014 को नए अधिनियम के लागू होने से पांच वर्ष या उससे अधिक पहले पारित किया गया था।इस प्रकार यह स्थापित हो जाता है कि ऐसे मामलों में धारा 24(2) में निहित वैधानिक शर्तों में से एक मुआवजे के भुगतान के गैर-भुगतान या इसके जमा होने की तारीख से पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए नए अधिनियम के लागू होने तक निर्विवाद रूप से स्थापित है।

समान रूप से यह मानना सही होगा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक मामले में यह स्थापित किया है कि अधिग्रहीत भूमि/सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा उनके पास बना हुआ है।

2.1 राज्य की ओर से यह मामला है कि इन सभी मामलों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4/6 के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले भूमि मालिकों द्वारा चुनौती दी गई थी और संबंधित मूल भू-स्वामियों को कोई राहत नहीं मिली थी। हरियाणा राज्य की ओर से यह भी मामला है कि वास्तव में अधिग्रहीत की गई भूमि का कब्जा अधिकांश मामलों में रपट/रोज़नामचा बनाकर पहले ही ले लिया गया था और इसलिए, कब्जा लेने पर, भूमि राज्य सरकार के पास निहित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के मद्देनजर अधिग्रहित भूमि के संबंध में अधिग्रहण की मानित व्यप्गतता नहीं मानी जाएगी, (देयर शैल नॉट बी एनी डीम्ड लैप्स ऑफ़ एक्वीजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दी लैंडस अक्वायर्ड) जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा और आयोजित किया गया है।

3. श्री के.टी.एस. तुलसी और श्री गोपाल शंकरनारायणन, एसएलपी संख्या 20857/2022 और 28803/2018 में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता क्रमशः हीरा सिंह और प्रीतम कुमार गोयल के मामले में, ने निवेदन किया है कि वास्तव में संबंधित भू-स्वामियों के पास विचाराधीन भूमि का वास्तविक और भौतिक कब्जा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए और जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अनुसार मुआवजे का भुगतान अदा नहीं किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, तो अधिग्रहण की व्यपगतता मानी जाएगी (देयर शैल बी डीम्ड लैप्स ऑफ़ एक्वीजीशन) क्योंकि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं।

3.1 श्री के.टी.एस.तुलसी एसएलपी संख्या 20857/2022 में मूल भूमि मालिक - हीरा सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों पर भरोसा किया है कि वास्तव में सड़क के संरेखण (रीअलाइनमेन्ट) का प्रस्ताव चल रहा है और इसलिए जिस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, भूमि की आवश्यकता नहीं है।

3.2 एसएलपी संख्या 28803/2018 में मूल भूमि मालिक - प्रीतम कुमार गोयल की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में विचाराधीन भूमि के डी-एक्वीज़ीशन का प्रस्ताव लंबित है और सक्रिय रूप से विचाराधीन है, जिसके लिए उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पर बहुत भरोसा किया है।

3.3 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध/प्रार्थना की है कि यदि यह न्यायालय मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने (रिमांड) का प्रस्ताव करता/रखता है उस मामले में भूमि मालिकों के पक्ष में अधिनियम, 2013 की धारा 101 ए के तहत राज्य सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता आरक्षित की जानी चाहिए, जैसा कि हरियाणा राज्य के लिए अधिग्रहीत भूमि के अधिग्रहण के लिए लागू है।

4. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनकर और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य / कॉमन निर्णय और आदेश को पढ़ने के बाद, अधिक विशेष रूप से, विवादित आदेश का पैरा 21 और जैसा कि हरियाणा राज्य की ओर से मामला यह है कि रपट/रोजनामचा तैयार करके विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था और एक मामले में स्थगन आदेश/लंबित मुकदमेबाजी के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, **इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार और अपने गुणों के आधार पर नए सिरे से रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में वापस भेजने की आवश्यकता है (दी मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमाण्डेड टू दी हाई कोर्ट)।

5. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के कारण, मामलों के गुण-दोष के बारे में और गहन विचार किए बिना और किसी भी पक्षकार के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं और **इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए और कानून के अनुसार और मामलों की अपनी योग्यता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में वापस भेजते है (रेमिट दी मैटर्स बैक टू दी हाई कोर्ट)।सभी दलीलें जो संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुणों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए खुला रखा गया है और जैसा कि इसमें ऊपर देखा/कहा गया है।

6. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द और अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर रिमांड पर रिट याचिकाओं का निर्णय और निपटान करे।हालांकि, यह देखा गया है कि रिमांड का आदेश राज्य सरकार को भूमि के डी-एक्वीज़ीशन पर कोई उचित निर्णय लेने से नहीं रोकता है, जैसा कि मूल भूमि मालिक - प्रीतम कुमार गोयल की ओर से दावा किया गया है (एसएलपी संख्या 28803/2018 में) और उस पर कानून के अनुसार और अपनी योग्यता के आधार पर और यदि कानून के तहत अनुमति हो तो विचार किया जा सकता है।

7. इसी प्रकार, एसएलपी (सी) संख्या 2966-2967/2021 और अन्य संबद्ध विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 को ध्यान में रखते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह स्वतंत्रता आरक्षित है कि वे अधिनियम, 2013 की धारा 101 ए के संदर्भ में राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दे सकते हैं, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है, यदि वे चाहें तो आज से एक महीने के भीतर ऐसा किया जा सकता है, जिसपर उसके बाद चार महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार और उसके गुणों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसके लिए हमने किसी भी पक्षकार के पक्ष में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

उपरोक्त के अनुसार वर्तमान अपीलों का निस्तारण किया जाता है।कोई लागत/खर्च नहीं।

[एम.आर. शाह, न्यायाधीश]

[सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीश]

नई दिल्ली;
02 मई, 2023

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।